भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2432

10 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

डीडीए द्वारा पट्टाधृति से पूर्ण-स्वामित्व में परिवर्तन करने पर रोक लगाना

2432 श्री नीरज शेखरः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी आवासीय संपत्तियों के पट्टाधृति (लीज़होल्ड) से पूर्ण स्वामित्व (फ्रीहोल्ड) में परिवर्तन करने पर कोई रोक लागू है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस रोक के कारण प्रभावित हजारों लोगों की परेशानियों को कम करने हेतु प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): यह सूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की आवासीय संपत्तियों के संबंध में मौजूदा रूपांतरण नीति की वर्तमान में समीक्षा की जा रही है ताकि इसे और अधिक नागरिक अनुकूल बनाया जा सके।

इस तरह की समीक्षा लंबित रहने तक रूपांतरण अनुरोधों के मामलों को रोक दिया गया है।
